कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

(Email ID - pdpwdhathras@gmail.com)

पत्रांक 2562 / 4B दिनांक 7/09/19

सेवा में,
जिलापूर्ति अधिकारी,
हाथरस।

विषयः—इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड नगला भुस से नगला उम्मेद मार्ग के कि0मी0 03 चैनेज 2.243 में नवीन रिटेल आउटलेट स्थापना के सम्बन्ध में।

संदर्भः— मुख्य अभियन्ता, अलीगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पत्रांक सं0 4219/20एम0—अ0क्षे0/19 दिनांक 26.08.2019, अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ का पत्रांक सं0 3843/8सी0(ग)—अ0वृ0/2019 दिनांक 14.08.2019 एंव जिलापूर्ति अधिकारी, हाथरस का पत्रांक 368/जि0पू0आ0—पेट्रो0अनु/2019 दिनांक 03.05.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अनुपालन में निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना की अनुमति की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा—6 के अन्तर्गत जनपद हाथरस में नगला भुस से नगला उम्मेद मार्ग (एन0एच0—93 का शहरी भाग) के कि0मी0 03 चैनेज 2.243 पर बायीं ओर (लैफ्ट हैण्ड साइड) मार्ग के मध्य से 22.86 मीटर की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना संलग्न एनेक्सर—I, II, III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुये स्थापित करेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्सर—I, II, III में वर्णित कोई भी शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
3. बफर स्ट्रिप का निर्माण आई0आर0सी0 मानक के अनुसार कम से कम 3 मीटर चौड़ी एवं 12 मी0 लम्बाई में होनी चाहिये।
4. रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग में स्लैब कल्वर्ट बनायी जायेगी, जिसमें लोहे की ग्रेटिंग की ओपनिंग होगी ताकि रिटेल आउटलेट एवं पहुंच मार्गो पर आने वाला वर्षा का पानी पुलियों के द्वारा डिस्पोजल किया जा सके।
5. मार्ग पर 300 मीटर की दूरी पर कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिये।
6. रिटेल आउटलेट के प्लाट का साइज 35x35 मीटर से कम नहीं होना चाहिये।
7. रिटेल आउटलेट पेंटेड एरिया का लेविल सड़क के पेंटेड सतह के मध्य लेविल से 0.50 मीटर नीचे होना चाहिये।
8. रिटेल आउटलेट एवं नाली का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि, आर0ओ0डब्ल्यू0 एवं बिल्डिंग लाईन के बाहर होना चाहिये।
9. रिटेल आउटलेट स्थापित करने में आई0आर0सी0 12—2009 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।
10. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से होना चाहिये। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्वच नहीं होगा।
11. यदि निर्माण स्थल भूमि पर न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
12. मानचित्र में दर्शाये गये प्लान से निर्माण भिन्न होने की स्थिति में एवं उल्लिखित किन्हीं भी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मन्त्रालय तथा लोक निर्माण विभाग के समस्त निर्देशों का पालन कराना अनिवार्य होगा।
13. इस प्रकार की कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी संरचना नहीं की जायेगी जो सुलभ यातायात में बाधित हो अथवा दुर्घटना का कारण बने।

19/02/2020

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtasham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा- 282002 (यू.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

14. रिटेल आउटलेट के पहुंच मार्ग पर रखरखाव डीलर द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

15. रिटेल आउटलेट पर स्वच्छ पीने का पानी एवं टॉयलेट की सफाई की उचित व्यवस्था एवं रखरखाव किया जाये। विभाग द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

16. लो0नि0वि0 के मार्ग के चौडीकरण के समय यदि पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु पम्प आदि को गिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही उक्त कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

17. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

18. एनेक्सर – III के बिन्दु 4 / 14 में वर्णित शर्त के अनुसार एकमुश्त 2.00 लाख (दो लाख रू0) धनराशि अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस के खाते में रिटेल आउटलेट की स्थापना से पूर्व जमा करनी होगी। उपरोक्त धनराशि जमा किये बगैर कोई भी कार्य कराया जाना अवैध होगा।

यदि आवेदक उपरोक्त किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करता है, जो उपरोक्त संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

1. एनेक्सर –I, II (चैकलिस्ट) मूल में।।
2. एनेक्सर–II रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर मूल में।
3. अंडरटेकिंग एनेक्सर–I के बिन्दु सं0 9, 10, 11 पर रू0 100 के स्टाम्प पेपर मूल में।
4. साइड प्लान दो प्रतियों में एवं अन्य पेपर्स मूल में।
5. उपरोक्त सेट की दो छायाप्रतियाँ

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक /

दिनांक

1. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय प्रा0ख0लो0नि0वि0, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0) प्रा0ख0लो0नि0वि0, को सूचनार्थ प्रेषित।

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtesham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा– 282002 (यू.पी)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)
19/02/2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।